

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या: 148/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/206)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अंकुर पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. अरविन्द्र कुमार साहू पुत्र विजय सिंह साहू जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शारदा देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		2. अनूज कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. यशपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		3. इन्द्रा देवी पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
		4. राजपाल पुत्र चन्दू लाल जाति जाट निवासी मकान नं0 1ए, 24 गगन पथ, जवाहर नगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
		5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.05.2025

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

2. श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

—निर्णय—

दिनांक: 27.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 24 एच ए, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2/2 में कुल 5.5780 है0 कृषि भूमि खातेदार अनुज कुमार पुत्र राजपाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/29 में कुल 5.1390 है0 भूमि खातेदार राजपाल पुत्र चन्दू लाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 2/2 में कुल 8.0690 है0 नहरी कृषि भूमि खातेदार अंकुर पुत्र रणजीत सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 8/8 में कुल 11.1730 है0 नहरी कृषि भूमि खातेदार अरविन्द्र कुमार साहू पुत्र विजय सिंह साहू के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 3/3 में कुल 2.3770 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि खातेदार अनुज कुमार पुत्र राजपाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 में कुल 6.3420 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि खातेदार शारदा देवी पत्नी रणजीत सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 में कुल 6.2730 है0 नहरी कृषि भूमि खातेदार इन्द्रा देवी पत्नी विजय सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार व जान पहचान के सदस्यगण है, जिनके द्वारा उक्त वर्णित भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है बंटवारानामा अनुसार चक 24 एच ए के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नं0 17 के किला नं0 1 से 25 में 5.578 है0 बारानी कृषि भूमि एवं चक 24 एच बी के खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 1 से 25 में 5.139 है0 नहरी कुल क्षेत्रफल 10.717 है0 बारानी/नहरी कृषि भूमि खातेदार अंकुर पुत्र रणजीत सिंह के कब्जा काश्त में है। चक 24 एच बी के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 1 से 8 में 1.998 है0 व खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 9 से 16 में 1.972 है0 व खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 17 से 25 में 2.099 है0 व मुरब्बा नं0 41/11 के 0.278 है0 खाला कुल क्षेत्रफल 6.347 है0 नहरी मय खाला भूमि खातेदार शारदा देवी पत्नी रणजीत सिंह के कब्जा काश्त में है। चक 24 एच बी के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नं0 21 के किला नं0 1 से 25 में 6.197 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 27 के किला नं0 3/2 से 8/2, 13/2 से 18/2, 23/2 से 25 में रकबा 2.878 है0 नहरी भूमि व मुरब्बा नं0 41/1 के 0.126 है0 खाला कुल क्षेत्रफल 9.201 है0 नहरी मय खाला भूमि खातेदार अरविन्द्र कुमार पुत्र विजय सिंह के कब्जा काश्त में है। चक 24 एच बी के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नं0 12 के किला नं0 1 से 25 में 6.197 है0 नहरी व मुरब्बा नं0 41/2 के 0.127 है0 खाला भूमि व खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नं0 7 के किला नं0 1 के 0.164 है0, 2 के 0.164 है0, 3 के 0.059 है0 (किला नं0 2 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नं0 8 के 0.148 है0 (किला



नं 9 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नं 9 के 0.253है0, 10 के 0.253है0, 11 के 0.253है0, 12 के 0.253है0, 13 के 0.147है0(किला नं 12 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नं 18 के 0.148है0 (किला नं 19 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नं 19 के 0.253है0, किला नं 20 के 0.253है0, किला नं 21 के 0.253है0, 22 के 0.253है0, किला नं 23 के 0.148है0 (किला नं 22 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा) कुल क्षेत्रफल 9.326है0 नहरी मय खाला भूमि खातेदार अनुज कुमार पुत्र राजपाल के कब्जा काशत में है। चक 24 एच बी के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नं 11 के किला नं 1 से 25 में 6.071है0 नहरी भूमि खातेदार राजपाल पुत्र चन्दू लाल के कब्जा काशत में है। चक 24 एच बी के खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नं 7 के किला नं 3 के 0.105है0(किला नं 4 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नं 4 के 0.164है0, किला नं 5 के 0.164है0, किला नं 6 के 0.253है0, 7 के 0.253है0, 8 के 0.105है0 (किला नं 7 के पूर्व दिशा में चिपता हुआ), किला नं 13 के 0.106है0 (किला नं 14 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नं 14 के 0.253है0, किला नं 15 के 0.253है0, किला नं 16 के 0.253है0, 17 के 0.253है0, किला नं 18 के 0.105है0(किला नं 17 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नं 23 के 0.105है0 (किला नं 24 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नं 24 के 0.253है0, 25 के 0.253है0 कुल 2.878है0 नहरी भूमि यशपाल पुत्र मनीराम जाति जाट के कब्जा काशत में है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण ने यशपाल पुत्र मनी राम को पारिवारिक सहमति बंटवारा में दी हुयी है। इसलिए यशपाल पुत्र मनीराम उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। चक 24 एच बी के मुरब्बा नं 20 के किला नं 05/2 के 0.089है0, 6/2 के 0.089है0, 15/2 के 0.089है0, 16/2 के 0.089है0, 25/2 के 0.038है0 कुल क्षेत्रफल 0.394है0 नहरी भूमि खातेदार इन्द्रा देवी पत्नी विजय सिंह के कब्जा काशत में है। उपर्युक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण कब्जा काशत है और भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। रकबा का बंटवारा व काशत के अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, टेका पर काशत करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काशत के अनुसार हिस्सा राजस्व अभिलेख में खाता दर्ज करवाना चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। आज से 15 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को निवेदन किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि वह अन्यत्र जगह पर है और एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते है, भूमि का कब्जा बंटवारा के अनुसार चला आ रहा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वादीगण ने कारित हो रही असुविधा का हवाला दिया, लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और साफ इंकार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बंटवारानामा अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे एवं उक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकवाल सिंह के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादीगण का वादपत्र व वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, जवादावा मय काउन्टर क्लेम मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम अंतिम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एच ए, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 से 25 में 5.578 हैक्टेयर बरानी भूमि एवं राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 से 25 में 5.139 हैक्टेयर नहरी

सहायक क्लर्क एवं फोन  
उपस्थित अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीमानगर)

कुल रकबा 10.717 हेक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 अंकुर पुत्र रणजीत सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणापुर की जमाबन्दी सम्वत 2079 के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 से 8 में 1.998 हेक्टेयर व खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 9 से 16 में 1.972 हेक्टेयर व खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 17 से 25 में 2.099 हेक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 41/11 के 0.278 हेक्टेयर खाता कुल रकबा 6.347 हेक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 शारदा देवी पत्नी रणजीत सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणापुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 3 के 0.105 हेक्टेयर (किला नं 4 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 4 के 0.164 हेक्टेयर, किला नम्बर 5 के 0.164 हेक्टेयर, किला नम्बर 6 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 7 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 8 के 0.14 के चिपता हुआ पूर्व दिशा में चिपता हुआ), किला नम्बर 13 के 0.106 हेक्टेयर (किला नं 0 किला नम्बर 16 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 18 के 0.105 हेक्टेयर (किला नम्बर 17 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 23 के 0.105 हेक्टेयर (किला नं 0 24 रकबा 2.878 हेक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 3 यशपाल पुत्र मनीराम को, राजस्व ग्राम 24 एच के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.197 हेक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3/2 से 8/2, 13/2 से 18/2, 23/2 से 25 में रकबा 2.878 हेक्टेयर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 41/1 के 0.126 हेक्टेयर खाता कुल रकबा 9.201 हेक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 अरविन्द कुमार पुत्र विजय सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणापुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.197 हेक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 41/2 के 0.127 हेक्टेयर खाता भूमि व खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 के 0.164 हेक्टेयर, किला नम्बर 2 के 0.164 हेक्टेयर, किला नम्बर 3 के 0.059 हेक्टेयर (किला नं 0 2 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 8 के 0.148 हेक्टेयर (किला नं 0 9 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 9 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 10 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 12 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 13 के 0.147 हेक्टेयर (किला नं 0 12 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 18 के 0.148 हेक्टेयर (किला नं 0 19 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 19 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 23 के 0.148 हेक्टेयर (किला नं 0 22 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा) कुल रकबा 9.326 हेक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 अनुज कुमार पुत्र राजपाल को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणापुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5/2 के 0.089 हेक्टेयर, किला नम्बर 6/2 के 0.089 हेक्टेयर, किला नम्बर 15/2 के 0.089 हेक्टेयर, किला नम्बर 16/2 के 0.089 हेक्टेयर, किला नम्बर 25/2 के 0.038 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.394 हेक्टेयर भूमि खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्रा देवी पत्नी विजय सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणापुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.071 हेक्टेयर नहरी भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 राजपाल पुत्र चन्दू लाल को, घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणापुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (उपस्थान) अधिकारी  
श्रीकरणापुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरें इजलीस सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपस्थान) अधिकारी  
श्रीकरणापुर (श्रीगंगानगर)

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अंकुर आदि बनाम अरविन्द कुमार आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 188, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर 148/2025

निर्णय दिनांक :-27.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह दिल्ली उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एच ए, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 02/02 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 से 25 में 5.578 हैक्टेयर बाराणी भूमि एवं राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ. नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 से 25 में 5.139 हैक्टेयर नहरी कुल रकबा 10.717 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 अंकुर पुत्र रणजीत सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू. अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 से 8 में 1.998 हैक्टेयर व खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 9 से 16 में 1.972 हैक्टेयर व खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 17 से 25 में 2.099 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 41/11 के 0.278 हैक्टेयर खाला कुल रकबा 6.347 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 2 शारदा देवी पत्नी रणजीत सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 3 के 0.105 हैक्टेयर (किला नं0 4 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 4 के 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 के 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 के 0.105 हैक्टेयर (किला नं0 7 के पूर्व दिशा में चिपता हुआ), किला नम्बर 13 के 0.106 हैक्टेयर (किला नं0 14 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 14 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 के 0.105 हैक्टेयर (किला नम्बर 17 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 23 के 0.105 हैक्टेयर (किला नं0 24 के चिपता हुआ पूर्व दिशा), किला नम्बर 24 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 के 0.253 हैक्टेयर कुल रकबा 2.878 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी संख्या 3 यशपाल पुत्र मनीराम को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.197 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3/2 से 8/2, 13/2 से 18/2, 23/2 से 25 में रकबा 2.878 हैक्टेयर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 41/1 के 0.126 हैक्टेयर खाला कुल रकबा 9.201 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 अरविन्द कुमार पुत्र विजय सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.197 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 41/2 के 0.127 हैक्टेयर खाला भूमि व खाता संख्या 11/10 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 के 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 के 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 के 0.059 हैक्टेयर (किला नं0 2 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 8 के 0.148 हैक्टेयर (किला नं0 9 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 9 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13 के 0.147 हैक्टेयर (किला नं0 12 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 18 के 0.148 हैक्टेयर (किला नं0 19 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा), किला नम्बर 19 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 के 0.148 हैक्टेयर(किला नं0 22 के चिपता हुआ पश्चिम दिशा) कुल रकबा 9.326 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 अनुज कुमार पुत्र राजपाल को,

राजस्थान  
अदालत

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (राजस्थान)

राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्मत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/10 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5/2 के 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 6/2 के 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 15/2 के 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/2 के 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/2 के 0.038 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.394 हैक्टेयर भूमि खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्रा देवी पत्नी विजय सिंह को, राजस्व ग्राम 24 एच बी, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्मत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 से 25 में 6.071 हैक्टेयर नहरी भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 राजपाल पुत्र चन्दू लाल को, घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 27.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन अधिकारी  
उपसुपड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	2000	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	2004	00	योग	04	00

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन अधिकारी  
उपसुपड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक: 27.06.2025

मांक: रीडर/2025/439

तेलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना पोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन

सहायक कलेक्टर एवं पट्टेन अधिकारी  
उपसुपड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)